HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 992/2024

IN

S.B. Criminal Appeal no. 761/2024
CNR: RJHC020510042024 | URN: SOSA / 1762U / 2024

Anandi Lal @ Nand Lal S/o Shri Shimbhudayal, Aged About 30 Years, R/o Jindo Ki Dhani Tan Vasna, Police Station Jamwaramgarh District Jaipur (At Present In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 43/2020 **राजस्थान राज्य** बनाम **आनन्दीलाल** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 13.08.2020 से लगातार

अभिरक्षा में है। उसकी अभिरक्षा की अवधि लगभग 6 वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बाबजूद तामील परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, विचारण न्यायालय के निर्णय व अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की 6 वर्ष की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **31.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **आनन्दीलाल उर्फ नंदलाल पुत्र शिम्भूदयाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता हैं।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

RAMESHWAR/27